फर्द अहकाम (नियम 26)

बअदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),टिब्बी

अनवान :– गुरदेवसिंह बनाम गुरमेलसिंह आदि

अन्तर्गत धारा :– 212 आरटीएक्ट प्र0सं0 ...47.... / 2025

हुक्म		नम्बर व तारीख
2025	आज यह स्थगन प्रार्थना पत्र जरिये प्रार्थी अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पर रिपोर्ट सिगेदार होने के बाद दर्ज रजिस्टर किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर व पत्रावली में सलंग्न प्रार्थी के शपथ पत्र से सन्तुष्ट होकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध आगामी तारीख पेशी तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वे रोही मौजा चक 8 केएचआर के खाता सं0 203/69 की कुल 0.759है0 एवं चक 4 सीडीआर के खाता सं0 78/79 की कुल 2.024है0 में रिकार्ड की यथास्थिति बनायें रखें। उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा सरकारी रास्ता व सरकारी खाला की भूमि पर लागू नहीं होगी। अधिवक्ता प्रार्थी आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना करते हुए अप्रार्थीगण की तामिल जरिये रजिस्टर डाक से करवाकर रसीदें 5 दिवस में पेश करें। अन्यथा अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही खारीज हो जावेगी। अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का उज्र ऐतराज होने पर असलातन अथवा वकालतन न्यायालय हाजा में पेश हो। पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक 21.05.2025 को पेश हो।	
5/5/25 गुरदेवसिंह	प्रार्थी द्वारा केस वाद विड्रो/खारिज किये जाने पर उक्त प्रार्थना पत्र औचित्यहीन होने के कारण वर्तमान स्तर पर ही खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (सत्यनारायण RAS)	